न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 22 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	**रेस्पोडेंटगण**
1. बद्रीनारायण पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी केकड़ तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 2. गोरधनराम पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी केकड़ तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर हाल शिव कॉलोनी 1422, वीर तेजाजी मंदिर के पीछे, चांदना भाकर, जिला जोधपुर	1. रघुनाथराम पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी केकड़ तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सेड़वा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 163 / 2017 बअनवान रघुनाथराम बनाम गोरधनराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री प्रवीण चौधरी रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—24.02.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 रघुनाथराम ने ग्राम झगीया, पटवार क्षेत्र केकड़ तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 1105 / 635 रकबा 12 बीघा (1.9525 हैक्टयेर) भूमि को अपनी खातेदारी व खरीदशुदा भूमि बतलाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश चौहटन के न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया जो नवसृजित कोर्ट सहायक जिलाधीश सेड़वा के न्यायालय में स्थानांतरित किया गया। हस्तगत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री को पारित की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अपीलांट संख्या 02 गोरधनराम के सम्म्न तामिल ही नहीं हुए और न ही गोरधनराम न्यायालय में उपस्थित हुए। न ही उसकी पुनः तामिली हेतु सम्मन ही पेश किये गये और न ही अपीलांटस गोरधनराम की किसी न्यायालय में पहचान ही दी। अपीलांट संख्या 02 गोरधनराम ज्यादातर जोधपुर में निवास करता है तथा वर्षात व काश्त के समय खेत पर आकर काश्त करता है व रहवास करता है उसका आधार कार्ड जोधपुर का बना हुआ है जहां पर सम्मन भेजा हीं नहीं गया। ऐसी स्थिति में एकतरफा निर्णय व डिक्री निरस्त करने के काबिल है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रघुनाथराम का मुख्य परीक्षा स्वरूप शपथ–पत्र उसके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त शपथ–पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 28.10.2022 को उतरदाता संख्या 01 ने उक्त न्यायालय के समक्ष कोई शपथ नहीं ली गई और न ही शपथ–पत्र पर उतरदाता संख्या 01 के हस्ताक्षर को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर ए से बी हस्ताक्षर दर्शा कर प्रदर्शित ही करवाया गया और न ही दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये और न ही शपथ–पत्र पर दिनांक ही अंकित की गई। उक्त स्थिति में न तो शपथ–पत्र को साक्ष्य में शुमार किया जा सकता है और न ही दस्तावेजात को साक्ष्य में पढा जा सकता है। उतरदाता संख्या 01 ने मौजा केकड़ के खसरा संख्या 932/342 रकबा 07.17 बीघा के संबंध में अपना स्वयं का 1/3 हिस्सा व अपीलांट संख्या 01 का 1/3 हिस्सा व अपीलांटस संख्या 02 का 1/3 हिस्सा खातेदारी का बताते हुए वाद अंतर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश किया गया। दूसरा राजस्व वाद मौजा झगीया के खेत खसरा संख्या 1105/635 रकबा 12 बीघा के संबंध में अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त दोनों दावे तहसील सेड़वा के होने से और दानों दावों में समान पक्षकार होने से दोनों खसरे के दावे साथ में प्रस्तुत किये जा सकते थे परन्तु उतरदाता संख्या 01 ने अपीलांटगण को धोखे व अंधेरे में रखते हुए दोनों दावे अलग–अलग प्रस्तुत किये।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपरोक्त दोनों वादों में वर्णित भूमि के संबंध में पूर्व में अपीलांट संख्या 02 गोरधनराम द्वारा अपीलांट संख्या 01, उतरदाता संख्या 01 और उनके पिता मोहनलाल के विरूद्ध संयुक्त रूप से एक राजस्व वाद संख्या 87/2010 अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत सहायक जिलाधीश चौहटन के न्यायालय मे प्रस्तुत किया था उक्त वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन संख्या 413/2009 भी प्रस्तुत किया था जिसमें उपरोक्त खसरों की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया गया। राजस्व वाद संख्या 87/2010 में दोनों पक्षों के बीच में राजस्व अभियान के अन्दर राजीनामा दिनांक 30.06.2017 को हो गया था जिसमें अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 तीनों का 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा रखा गया था। उक्त दावे व आवेदन आदि के तथ्यों को छिपाते हुए व अधीनस्थ न्यायालय को धोखे में रखते हुए उपरोक्त दोनों खसरों के अलग अलग दावे उतरदाता संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत किये गये जो रेसज्यूडिकेटा की परिभाषा में आने से अपीलाधीन वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज करने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय अपीलांटगण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के अनुरूप अपना पक्ष रखने व दस्तावेज रेकर्ड पर नहीं लिये ओर न ही पत्रावली में विधिक व न्यायिक प्रक्रिया अपनाई गई मनमाने ढंग से विधि के प्रावधानों का उल्लंघन कर व विधि सम्मत कानूनी प्रक्रिया की अवज्ञा कर उक्त निर्णय पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RJT 2023(1) Page 187

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के पते पर सम्मन भिजवाये गये बावजूद जानकारी के अपीलांटगण ने जानबूझकर बाद में अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर नहीं हुये थे ऐसी स्थिति में अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर न दिये जाने का तथ्य सरासर गलत व मनगढंत है जिस कारण अपीलांटगण को हस्तगत अपील पेश करने का अवसर भी समाप्त हो गया। अपीलाधीन आराजी अपीलांट की खरीद शुदा है जिसे विक्रेता मोहनलाल स्वयं ने दिनांक 07.09.2002 को जरिये पंजीयन दस्तावेज चुनाराम, विरधाराम पिसरान पुरखाराम से क्रय की गई। मोहनलाल स्वयं ने अपनी स्वर्जित सम्पति को अपने जीवन काल में दिनांक 08.07.2009 को जरिये पंजीयन दस्तावेज से उतरदाता संख्या 01 के पक्ष में बेचान किया गया। अपीलांट संख्या 02 द्वारा एक

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व वाद पेश कर अपीलाधीन आराजी पर राजस्व रैकर्ड का स्थगन आदेश ले लिया था। जिससे वादी रूगनाथराम का नामांतकरण नहीं खोला जा सका एवं इस दरमियान वादी के पिता मोहनलाल फौत हो गया एवं गोरधन का राजस्व वाद दिनांक 25.07.2017 को खारिज हो गया तथा मोहनलाल के फौत होने पर प्रतिवादीगण ने जमीन हड़पने की नियत से पटवारी से मिलीभगत कर वादी के पंजीयन दस्तावेज का नामांतकरण न खोल कर सिधा फौतगी का नामांतकरण खोला गया। अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त उतरदाता/वादी का है इसलिए वादी/उतरदाता संख्या 01 अपीलाधीन आराजी को अपने खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया गया। मूल वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद समुचित सुनवाई उतरदाता/वादी के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण द्वारा उतरदाता को मिले अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई। पूर्व में वाद में उभयपक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का कोई राजीनामा हिस्सों की घोषणा बाबत नहीं हुआ। उतरदाता द्वारा अपने पक्ष में हो रखे बेचान की घोषणा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु राजस्व वाद पेश किया गया जो विधि से बाधित नहीं है तथा न ही रेस ज्यूडिकेटा में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः अपीलांटगण की अपील को सव्यय खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर अपीलांटस की व्यक्तिगत तामिल नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपतिस्थति में एकतरफा पारित की गई। वादी/उतरदाता द्वारा अपने वाद में वर्णन किया गया कि मोहनलाल द्वारा दिनांक 07.09.2002 को जरिये पंजीयन दस्तावेज चुनाराम, विरधाराम पिसरान पुरखाराम से अपीलाधीन आराजी क्रय की गई जबकि इस संबंध में मूल वाद की पत्रावली पर किसी प्रकार का पंजीयन दस्तावेज प्रदर्शित नहीं करवाया गया। पंजीयन दस्तावेज दिनांक 08.07.2009 जिसके जरिये मोहनलाल ने वादी/उतरदाता संख्या 01 के पक्ष में निष्पादित किया गया की फॉटों प्रति पेश की गई जिसको साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। उतरदाता/वादी द्वारा पेश दस्तावेजात को पत्रावली पर प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया। दस्तावेज बिना प्रदर्शित

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

करवाये साक्ष्य के अभाव में पारित की गई निर्णय व डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य है। हस्तगत वाद में अपीलांटस को जबावदावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत वाद में अपीलांटगण का जबावदावा लेकर मूल वाद एवं जबावदावे के अनुसार तनकीयात कायम कर निर्णय भी तनकीवार पारित किया जाना था जिसका उल्लंघन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत एवं विधि की मंशा के विरूद्ध है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटस की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाज अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा द्वारा राजस्व वाद संख्या 163/2017 बअनवान रघुनाथराम बनाम गोरधनराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.12.2023 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सेड़वा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को जबावदावा, साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया जाकर मूल दावे एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर तनकीवार वाद समुचित सुनवाई गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.03.2025 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

24/2/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 24.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/2/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर